

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2016/श्रावण 11, 1938

No. 534]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2016/SRAVANA 11, 1938

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय**

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2016

**सा.का.नि. 755(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (क) और खंड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक अनुभाग अधिकारी, ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा सहायक ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) विनियम, 2011 में,-**

(I) विनियम 1 के उपविनियम (1) में, “सहायक ग्रेड” शब्दों के स्थान पर “सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड” शब्द रखे जाएंगे ;

(II) विनियम 2 के उपविनियम (1) में,-

(क) खंड (ख) और खंड (ग) में “सहायक ग्रेड” शब्दों के स्थान पर “सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड” शब्द, जहां जहां वे आते हैं, क्रमशः रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (च) में “उच्च श्रेणी लिपिक” शब्दों के स्थान पर “ज्येष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड” शब्द, क्रमशः रखे जाएंगे ;

(III) विनियम 4 में “उच्च श्रेणी ग्रेड” शब्दों के स्थान पर, “ज्येष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड” शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 1/2/2009-सीएस. I (पी)]

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 251(अ), तारीख 24 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

### (Department of Personnel and Training)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2016

**G.S.R. 755(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in pursuance of clauses (a) and (c) of sub-rule (2) of rule 12 of the Central Secretariat Service Rules, 2009, the President hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Service Assistants' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 2011, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Secretariat Service Assistant Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service Assistants' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 2011, —

- (I) in regulation 1, in sub-regulation (1) for the words “Assistants' Grade”, the words “Assistant Section Officers' Grade” shall be substituted;
- (II) in regulation 2, in sub-regulation (1), -
  - (A) in clauses (b) and (c), for the words “Assistants' Grade”, the words “Assistant Section Officers' Grade”, wherever they occur, shall respectively be substituted;
  - (B) in clause (f), for the words “Upper Division Grade”, the words “Senior Secretariat Assistants' Grade” shall be substituted;
- (III) in regulation 4, for the words “Upper Division Grade”, the words “Senior Secretariat Assistants' Grade” shall be substituted.

[F. No. 1/2/2009-CS. I (P)]

ARCHANA VARMA, Jt. Secy.

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 251(E), dated the 24<sup>th</sup> March, 2011.